

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा (UPCATET)-2024

Website: <https://upcatet.org> || Email: help@upcatet.org || Technical Support: 91-9120304024


विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग की तिथियाँ

Counselling Venue (काउन्सिलिंग स्थल): गाँधी भवन, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

Group	Reporting Date	Counselling Date	From Combined Rank	To Combined Rank	Qualified Registered Candidate & Category
PCB, PCM, PAG, PHS Qualified & Registered Candidate for Counselling	10-11-2024 (09:00 AM To 05:00 PM)	11-11-2024 09:00 AM	1	All Quaified Candidate	All Sub. Catg. PWD, DP, FF, UE
			1	All Quaified Candidate	All ST
			1	All Quaified Candidate	All SC Qualified Candidate
	11-11-2024 (09:00 AM To 05:00 PM)	12-11-2024 09:00 AM	1	8806	All OBC Qualified Candidate
	12-11-2024 (09:00 AM To 05:00 PM)	13-11-2024 09:00 AM	1	8802	All EWS Qualified Candidate
	12-11-2024 (09:00 AM To 05:00 PM)	13-11-2024 10:00 AM	1	2766	All UR, OBC, EWS, SC, ST
13-10-2024 (09:00 AM To 05:00 PM)	14-10-2024 09:00 AM	2767	8806 (UR,OBC,EWS) 10609 (SC ST)	All UR, OBC, EWS, SC, ST	
Group	Reporting Date	Counselling Date	From Combined Rank	To Combined Rank	Total Number of Registered Candidate & Category
MHS, MTA, MTM, MFS, MBA	14-11-2024 (09:00 AM To 05:00 PM)	15-11-2024 09:00 AM	1	All Quaified Candidate	All PWD, DP, FF UR, OBC, SC, ST, EWS
MAG, MTB, MFR		15-11-2024 12:00 PM	1	All Quaified Candidate	All Sub. Catg. PWD, DP, FF, SC, ST All OBC, SC, ST, EWS
MAG, MTB, MFR	15-11-2024 (09:00 AM To 05:00 PM)	16-11-2024 09:00 AM	1	All Quaified Candidate	All (UR, OBC, EWS, SC, ST)
All Ph.D. Group (Expect PDV)	16-11-2024 09:00 AM To 01:00 PM	17-11-2024 09:00 AM	1	All Quaified Candidate	All PWD, DP, FF, UR, OBC, SC, ST, EWS

नोट:

- जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है वहीं अभ्यर्थी काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउन्सिलिंग पत्र वेबसाइट पर लॉगिन करके डाउनलोड किया जा सकता है।
- निर्धारित तिथि को रैंक के अनुसार काउन्सिलिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को काउन्सिलिंग के लिए रिपोर्ट नहीं करता है, तो अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।



रिपोर्टिंग/काउन्सिलिंग हेतु निर्देश

- 1 आफलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थी को लॉगिन करके आनलाइन के माध्यम से काउन्सिलिंग पंजीकरण शुल्क 500.00 (रुपये पॉच सौ मात्र) जमा करना होगा। निर्धारित तिथि में काउन्सिलिंग पंजीकरण शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी आफलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- 2 रैंक के अनुसार निर्धारित काउन्सिलिंग एवं रिपोर्टिंग तिथि काउन्सिलिंग लेटर डाउनलोड करने के साथ जारी किया जायेगा।
- 3 रिपोर्टिंग/काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में प्रवेश का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 4 रिपोर्टिंग/काउन्सिलिंग के समय निम्नलिखित "प्रमाण पत्र मूलरूप में लाना अनिवार्य है सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ-साथ एक-एक प्रमाणित फोटो कापी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।"
 - (i) प्रवेश पत्र
 - (ii) ऑनलाइन आवेदन फार्म
 - (iii) काउन्सिलिंग पत्र
 - (iv) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ पासपोर्ट/वोटर आईडी कार्ड)
 - (v) हाई स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - (vi) इण्टरमीडिएट परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - (vii) मास्टर्स पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक (i) से (vi) के साथ स्नातक परीक्षा के अंक पत्र/ट्रॉसक्रिप्ट एवं उपाधि या पी0डी0सी0।
 - (viii) पी.एच.डी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक (i) से (vii) के साथ परास्नातक परीक्षा के अंक पत्र/ट्रॉसक्रिप्ट एवं उपाधि या पी0डी0सी0।
 - (ix) शिक्षा ग्रहण करने की अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0)/माइग्रेशन प्रमाण पत्र।
 - (x) उस संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र जहाँ से आपने अन्तिम शिक्षा ग्रहण की है।
 - (xi) यदि आप अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो शासनादेश के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम जाति प्रमाण-पत्र। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रमाण-पत्र **वित्तीय वर्ष 2023-24 अथवा नवीनतम बना हुआ ही मान्य होगा।**
 - (xii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र **वित्तीय वर्ष 2023-24 अथवा नवीनतम बना हुआ ही मान्य होगा।**
 - (xiii) तीन पासपोर्ट साईज के नवीन फोटोग्राफ जैसा कि आवेदन पत्र पर चस्पा किया गया था।
 - (xiv) अन्तिम शिक्षा ग्रहण करने के बाद यदि आप किसी शिक्षण संस्था में अध्ययनरत नहीं रहे तो उक्त अन्तराल से सम्बन्धित शपथ-पत्र जो कि नोटरी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित हो।
 - (xv) उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी (Domicile) होने का सामान्य प्रमाण-पत्र जैसा कि सूचना विवरणिका के पृष्ठ 67 पर दिया गया है।
 - (xvi) सक्रिय सेना के सैनिक अथवा भूतपूर्व सैनिक (DP) के पुत्र/पुत्री होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र। यह प्रमाण-पत्र सूचना विवरणिका के पृष्ठ 68 पर दिये गये प्रारूप पर होना चाहिए।
 - (xvii) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) का प्रमाण पत्र। यह प्रमाण-पत्र सूचना विवरणिका के पृष्ठ 69 के अनुसार होना चाहिए।
 - (xviii) दिव्यांग (PWD) प्रमाण-पत्र जैसा कि सूचना विवरणिका के पृष्ठ 69 पर दिया गया है। समस्त पाठ्यक्रमों एवं बी0वी0एस0-सी0 एण्ड ए0एच0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दिव्यांग की दशा में प्रमाण-पत्र सूचना विवरणिका पर उल्लिखित शर्तों के अधीन ही मान्य होगा।
 - (xix) प्रदेश स्तर के खिलाड़ी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। यह प्रमाण-पत्र सूचना विवरणिका के पृष्ठ 70 पर दिये गये प्रारूप पर होना चाहिए। यदि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र ठीक नहीं पाया गया तो खेल-कूद के लिए दिये जाने वाले 02 प्रतिशत अंको का लाभ कम करते हुए आपकी मेरिट निर्धारित कर दी जायेगी।
 - (xx) पेमेन्ट (Paid) सीट एवं NRI sponsored सीट पर स्वेच्छा से प्रवेश लेने सम्बन्धी नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र रु0 10.00 नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
- 5 अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर किए गये हस्ताक्षर से मिलना आवश्यक है।



- 6 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पर चस्पा किए किये फोटो का मिलान परीक्षा के समय खींचे गये फोटो से किया जायेगा। फोटो से मिलान ना होने की दशा में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 7 रिपोर्टिंग/काउन्सिलिंग में बुलाये जाने का यह तात्पर्य नहीं है कि आपको प्रवेश मिल ही जायेगा। जिस मेरिट स्तर पर समस्त सीटें भर जाएगी वहीं काउन्सिलिंग समाप्त हो जायेगी।
- 8 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के अनुसार प्रवेश के स्तर पर पहुँचने एवं प्रमाण-पत्रों की जाँच के उपरान्त यदि आप प्रवेश के लिए उपयुक्त पाये गये तो प्रवेश के समय निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा। शेष शुल्क जिस विश्वविद्यालय में आपने प्रवेश पाया है, वहाँ पर जमा कराना होगा।
- (क) प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रारम्भिक प्रवेश शुल्क के रूप में ₹0 5000.00 (रु. पाँच हजार मात्र) की धनराशि का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट Finance Comptroller, SVPUA&T, Meerut के पक्ष में जारी हो और जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की शाखा एस.वी.बी.पी.यू. (कोड नं० 10653) पर देय हो, देना होगा। नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। ड्राफ्ट न होने की स्थिति में आपको प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- (ख) ऐसे अभ्यर्थी जो पेमेन्ट अथवा एन०आर०आई०/एन०आर०आई० स्पॉन्सर्ड (NRI/NRI Sponsored) सीट पर प्रवेश चाहते हो उन्हें उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा-2024 (UPCATET-2024) की सूचना विवरणिका के पृष्ठ 62 व 63 पर उल्लेखित विवरण के अनुसार आवश्यक धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि Finance Comptroller, SVPUA&T, Meerut के पक्ष में जारी हो एवं भारतीय स्टेट बैंक की शाखा एस.वी.बी.पी.यू. (कोड नं० 10653) पर देय हो, तुरन्त देना होगा। इस सम्बंध में नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 9 यदि किसी अभ्यर्थी को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आनलाइन अथवा आफलाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हुआ था एवं उसने विश्वविद्यालय में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया था तो ऐसे अभ्यर्थी को विशेष आफलाइन काउन्सिलिंग के समय प्रारम्भिक प्रवेश शुल्क ₹0 5000.00 का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी को आनलाइन के माध्यम से जारी आवंटन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 10 काउन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को डाक के माध्यम से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी बल्कि रिपोर्टिंग/काउन्सिलिंग पत्र एवं अन्य सूचना वेबसाइट पर डाल दी जायेगी। यह अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वह नियमित रूप से वेबसाइट देखता रहे और अपना रिपोर्टिंग/काउन्सिलिंग पत्र डाउन लोड करके रिपोर्टिंग/काउन्सिलिंग में भाग लें। यदि कोई अभ्यर्थी रिपोर्टिंग/काउन्सिलिंग पत्र के अभाव में रिपोर्टिंग/काउन्सिलिंग में भाग नहीं लेता है तो इसके लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। ड्राफ्ट न होने की स्थिति में आपको प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- 11 विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे तालिका में वर्णित रिक्त सीटों की संख्या की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपनी रैंक के अनुसार आंकलन कर निर्धारित तिथि में रिपोर्टिंग व काउन्सिलिंग में भाग लें सकते हैं। सीटों की संख्या बहुत सीमित हैं।

विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी

1. विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनको अपग्रेडेशन का लाभ नहीं मिला हो।
2. विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जो अपग्रेडेशन का लाभ चाहते हैं।
3. विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व ऑनलाइन या ऑफलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था।
4. विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व ऑनलाइन या ऑफलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग किया था परन्तु उनको सीट आवंटित नहीं हुयी थी।
5. विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्हें पूर्व आनलाइन या ऑफलाइन काउन्सिलिंग में सीट आवंटित हुई थी परन्तु वह किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाये थे।
6. विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व ऑनलाइन या ऑफलाइन काउन्सिलिंग में सीट आवंटित होने के बाद सिक्योरिटी फीस ₹0 5000.00 जमा की परन्तु वे आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाये।
7. विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के द्वारा आवंटित सीट पर किन्ही कारणवश प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की हो।



8. विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनको सीट आवंटित हुयी परन्तु ऑनलाइन या ऑफलाइन काउन्सिलिंग में पी0डी0सी0 न मिलने के कारण अपलोड अथवा प्रस्तुत नहीं कर सका अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के समय पी0डी0सी0 प्रस्तुत नहीं कर सके हों।

विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग हेतु अपात्र अभ्यर्थी

1. अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउन्सिलिंग (ऑनलाइन/ऑफलाइन) में केवल एक बार ही मिलेगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी ऑफलाइन काउन्सिलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डाक्यूमेंट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय काउन्सिलिंग में फर्जी अथवा गलत पाये जाने पर रिजेक्ट (निरस्त) कर दिये गये थे।


NRI/NRI Sponsored की परिभाषा

NRI – विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल के व्यक्ति का परिवार, भाई एवं बहन जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

NRI Sponsored –विदेश में प्रवास करने वाले भारतीय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी जिसे वह प्रायोजित करना चाहता हो को पासपोर्ट, वीसा वैधता की छायाप्रति के साथ पूरे अध्ययन काल में सम्पूर्ण शुल्क आदि के भुगतान का अनुबन्ध पत्र (एफीडेविट) देना होगा।

नोट:

1. विशेष ऑफलाइन काउंसिलिंग में श्रेणी/उप श्रेणी के रिक्त सीटों एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के योग्य अभ्यर्थी के अभाव में शेष रिक्त सीटें अनारक्षित (Unreserved) सीटों में स्थानान्तरित की जायेंगी।
2. यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त वांछित प्रमाण-पत्र में से कोई भी प्रमाण-पत्र रिपोर्टिंग/काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करता है अथवा वांछित शुल्क नहीं जमा करता है तो उसे मेरिट में रहते हुए भी प्रवेश नहीं दिया जायेगा और उसके नीचे की मेरिट वाले अभ्यर्थी को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा।
3. कृपया अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट <https://upcatet.org> का निरन्तर अवलोकन करते रहें।


कुलसचिव